International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 105-109

गठबंधन सरकार की बुराईयों को दूर करने के उपाय

डॉ॰ अवधेश कुमार

अतिथि प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, सी0 एम0 पी0 महाविद्यालय इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर–प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

भारत में कांग्रेस दल की भाँति का क्रिश्चियन डेंमोक्रेटिक दल व्यापक आधार वाला दल है। कभी साम्यवादी की ओर मुडता रहा और कभी दक्षिण पंथी उन्मुखता से उसमें लचीलापन बना रहा जिसके कारण इटली की राजनीति में उसका निरन्तर प्रभुत्व कायम रहा। वहाँ सत्ता के समीकरण लगातार परिवर्तित होत रहे हैं किन्तु गठबन्धन और साझा राजनीति की आवश्यकता विद्यमान है। मैंने अपने अध्ययन कार्य के मध्य यह पाया कि इटली ही क्यों, यूरोप के जर्मनी, फ्रांस जैसे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों में गठबन्धन के आधार पर ही अधिकांश साझा सरकारें बनी है और वर्ष 1966 में जर्मनी में पाँच प्रमुख दलों के गठबन्धन से वहाँ सरकार बनायी गयी। लोकतान्त्रिक देशों में जहाँ पर किसी एक दल का वर्चस्व कायम हो जाता है वहाँ सामान्यता दूसरे दल अपने बलबूते पर सत्ता नहीं कर सकते है। मैने अपने इस कार्य में पाया कि एकाधिकार प्राप्त इस तरह के दल अपने अनुभव तथा विशेषाधिकार के कारण अन्य दलों को उभरने नहीं देता।

ऐतिहासिक कारणों से यद्यपि यह एक दल अपने को सतत् बनाने में कामयाब तो हो जाता है। किन्तु राजनीतिक धरातल पर यह स्थायित्व दे सके यह हमेशा सम्भव नहीं है। इससे होता यह है कि सभी हित सन्तुष्टि की श्रेणी में नहीं आ पाते पारिणाम हुआ यह है कि जब जन्य दल प्रमुख दल को चुनौती नही दे पाते तो विरोधी इसी दल में से उत्पन्न हो जाता है। भारत में कांग्रेस दल की ऐतिहासिक विशिष्टता के कारण कम से कम केन्द्र में किसी भी अन्य दल से गम्भीर चुनौती नही मिली। कांग्रेस के मध्य से ही विरोध उत्पन्न हुआ और कांग्रेस के विभाजन के कारण जब स्व0 इन्दिरा गाँधी की सरकार अल्पमत में आ गयी तब उसे साम्यवादी दल का समर्थन लेना पड़ा। विकासशील व विकसित दोनों प्रकार के राज्यों में संविद सरकारों की मौजूदगी के बावजूद इनके आपसी मेल मिलाप व संविलन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नही है। मैने अपने अध्ययन के मध्य यह पाया गया कि गठबन्धन सरकार के निर्मित होने से स्वतन्त्रता पश्चात् लगातार विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रहे अर्थात् तमाशवीनों के समान कार्य कर रहे विरोधी पक्ष को जब स्वयं मंच पर आकर मुख्य भूमिका के रूप में कलाबाजी का मौका मिला तो उनको सत्ता के सुख की अनुभूति हुई। एक दल विशेष के अन्तर्गत विभिन्न अथवा घटकों में आपसी रजामन्दी ने अनेक उदाहरण मिल जायेंगें। अधिक दूर जाने की क्या आवश्यकता है? अपने हिन्दूस्तान के भीतर ही अनेक उदाहरण की फेहरिस्त बनायी जा सकती है। व्यक्ति विशेष के सन्दर्भ में सरदार बल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी की मिसाल देना समयानुसार होगा। स्वाधीनता प्राप्ति और महात्मा गाँधी की मृत्यु के पश्चात् कांग्रेस की दो महारथियों के मध्य इसी तरह की रजामन्दी थी। यद्यपि नेहरू और गाँधी की विचारधारा, व्यक्तित्व जनाधार व कार्यशैली भिन्न–भिन्न थी परन्तु यह स्वीकार किया जा सकता है कि नव स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उसके प्रारम्भिक दौर में परस्पर मिल–जुल कर कार्य करने का संकल्प था। तत्कालीन समय में कांग्रेस के अध्यक्ष पर पुरूषोत्तम दास टण्डन का चयन सरदार पटेल के कारण हुआ था किन्तु पटेल की मृत्यु के पश्चात् उनको पद से पृथक कर दिया गया। 1992 में उत्तर–प्रदेश में राष्ट्रपति शासन उस समय प्रभावी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह की सरकार विवादास्पद बाबरी मस्जिद की सुरक्षा करने में विफल रही थी। इस सम्बन्ध में सरकारिया समिति की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के विषय में प्रयोग हेतु क्या तथ्य ध्यान में रहने चाहिए। उसकी सिफारिशों को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है –

1. वर्ष 1995 में उत्तर–प्रदेश में राष्ट्रपति शासन में 9 अक्टूबर, 1995 को प्रभावी किया गया। उस समय भा0ज0पा0 के समर्थन वापिस लेने के कारण सुश्री मायावती की ब0स0पा0 की सरकार अल्पमत में आ गयी थी। यहाँ मैंने एक ऐसा विरोधाभासी मामला देखा जिसका वर्णन करना अनिवार्य व समयापयुक्त होगा। वोम्मई के मामले में दिये गये निर्णय के आधार पर वहाँ के राज्यपाल ने विधान मण्डल को तत्क्षण भंग नही किया क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह तथ्य पुष्ट किया था कि विधान सभा की उद्घोषणा के संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही उसको भंग किया जा सकता है।
2. राज्यों की विधान सभाओं को भंग करने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना परमावश्यक है। इसकी लिए अनु0 356 में वर्णित संशोधन के प्रावधान की आवश्यकता है।
3. अनु0 356 का प्रयोग अन्तिम विकल्प के रूप में होना ही चाहिए साथ ही साथ ऐसी कार्यवाही करने से पूर्व राज्य को चेतावनी व सचेत करना आवश्यक है। अन्यथा इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते है।

17 अक्टूबर, 1996 को उत्तर–प्रदेश में उस समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया जब किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा को निर्वाचन में वांछनीय बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उस समय उ0–प्र0 के अन्तर्गत 425 सदस्यों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 176, समाजवादी पार्टी की 134 और ब0स0पा0–कांग्रेस गठबन्धन की 100 रही थी। इस तरह भा0ज0पा0 गठबन्धन ही एक बड़ा दल था। उ0–प्र0 के तत्कालीन राज्यपाल श्री रोमेश भण्डारी ने केन्द्र के प्रतिनिधि की हैसियत से अपनी रिपोर्ट केन्द्र को भेजकर यह व्यक्त कर दिया कि यहाँ पर कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उस समय प्रधानमन्त्री श्री देवेगौड़ा थे उनकी सिफारिश पर उ0प्र0 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राज्यपाल श्री भण्डारी ने किसी भी प्रकार का प्रयास यहाँ सरकार के गठन का नहीं किया यह सरासर संविधान के अनु0 356 का दुरूपयोग रहा जबकि सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि यदि

चुनाव के पश्चात् कोई दल वांछनीय बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो सबसे बड़े दल को सरकार गठन का अवसर देना चाहिए। वर्ष 1977 में भारतीय जनता पार्टी और बहुमन समाज पार्टी के मध्य एक नयी प्रयोगात्मक शैली का प्रयोग किया गया। जो एक अनूठा प्रयोग माना जा सकता है जिसमें दोनों राजनीतिक दलों को अपना मुख्यमन्त्री 6–6 माह के लिए बनाना तय हुआ था। एक वर्ष वाद क्या होगा? इस तरह की आपसी रजामन्दी थी। इस गठबन्धन से पूर्व राजनीतिक के गलियारों मं तरह की चर्चाऐं थी। प्रथम 6 माह का कार्यकाल सुत्री मायावती का रहा तथा सुश्री मायावती ने अपने कार्यकाल बाद वह पद तत्कालीन भा0ज0पा0 के सर्वमान्य राजनेता श्री कल्याण सिंह को नियुक्त किया किन्तु समय की पुकार व परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि सुश्री मायावती, कल्याण सिंह की गतिविधियों से क्षुब्ध हो गयी। 19 अक्टूबर, 1997 को अत्यन्त रहस्यमयी स्थितियाँ और अप्रत्याशित रूप में उन्होंने कल्याण सिंह से अपना समर्थन वापिस ले लिया। राजनीति के इस सर्कस रूपी वातावरण में काफी उठा–पठक हुई। तत्कालीन राज्यपाल ने केन्द्रीय गृहमन्त्री इन्द्रजीत गुप्त के दबाव में आकर कल्याण सिंह को तीन दिन का समय दिया। इसी मध्य कांग्रेस के 23 और ब0स0पा0 के 13 विधायकों ने अपना दल त्याग कर भा0ज0पा0 को समर्थन देने की घोषणा कर दी। 21 अक्टूबर, 1997 को जब कल्याण सिंह द्वारा विश्वास मत का प्रस्ताव रखा गया तो कहा जाता है कि योजनाबद्ध तरीके से ब0स0पा0 और स0पा0 के विधायकों ने सदन में भारी हंगामा किया। सदन में नजारा ही कुछ और था मारपीट हाथा–पाई सभी कुछ वहाँ जो चल रहा था वह सदनीय गरिमा व उसकी अष्मिता को ठेस पहुँचाने वाला ही रहा। 425 सदस्यों वाले सदन में पक्ष में 222 मत पड़े और विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। तत्कालीन राज्यपाल ने भी इस अद्भुत और लज्जापूर्ण दृश्यों को और हवा प्रदान कर दी। उन्होंने केन्द्र को उ0प्र0 में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की सिफारिश कर दी। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री के0 आर0 नरायन इससे सहमत नहीं हुए उन्होंने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल को पुनः उस पर विचार विनियम करने की बात कही। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने उसको अपनी द्वितीय राय पुनर्विचार के रूप में राष्ट्रपति महोदय के पास नहीं भेजा। इस प्रकार राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से एक अत्यन्त संकटकारी स्थिति टल गयी। उ0–प्र0 में फरवरी, 2002 में चौदहवीं विधान सभा में किसी भी राजनीतिक दल को वांछनीय बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 403 सदस्यों वाली विधान सभा में समाजवादी पार्टी और मा0क0पा0 गठबन्धन वाली पार्टी ने 145 स्थान पर विजय प्राप्त करके सबसे बड़े गठबन्धित सरकार के रूप के रूप में अपने आपको प्रस्तुत किया था जबकि सत्तारूढ़ भा0ज0पा0 गठबन्धन को 107 ही स्थान हुए। उस समय उ0–प्र0 की विधान सभा चुनावों के पश्चात् दलीय स्थिति इस प्रकार रही –

तलिका 1

क्र.सं.	दल का नाम	प्राप्त स्थान
1	भा0ज0पा0+गठबन्धन	107
2	भा0ज0पा0	88
3	राष्ट्रीय लोकदल	13
4	लो0 का0	02
5	जद0 यू0	02
6	लोक जनशक्ति	01
7	समर्थित निर्दलीय	01
8	समाजवादी+गठबन्धन	145
9	स0पा0	143
10	मा0क0पा0	02
11	बहुजन समाज पार्टी	98
12	कांग्रेस	25
13	रा0क्रो0पा0	04
14	अपना दल	05
15	निर्दलीय व अन्य	17

किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण उत्तर–प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री की सिफारिश पर 8 मार्च, 2002 को उस समय राष्ट्रपति रहे के0 आर0 नरायन द्वारा अनुच्छेद 356(1) के तहत के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 14वीं उत्तर–प्रदेश की विधान सभा निलम्बित रही। 03 मई, 2002 को ब0स0पा0 व भा0ज0पा0 गठबन्धन की नेता सुश्री मायावती के निर्देशन में सरकार का गठन हुआ तब राष्ट्रपति शासन प्रदेश में पचपन दिन तक प्रभावी रहा था। गठबन्धन सरकार का टिकाऊपन इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि विभिन्न दल अपने सहयोग करने वाले के साथ पारस्परिक रूप में किस हद तक अपने हितों को न्यौछावर करने के लिए आमादा है? जहाँ कहीं भी संविद सरकारें बनी है वहाँ पर ध्रुवीकरण के सिद्धान्तों आलम्बन के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इसका प्रतिफल यह आया कि संयुक्त जिम्मेदारी की संसदीय परम्परा को नजर अन्दाज कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय समाज बुरी तरह से खण्डित है। राजनीति ने इसी खण्डित समाज को जोड़ने का काम आज लिया ही नहीं है बल्कि वह भी खण्डित होकर इस विखण्डन को सम्भालने में असफल हो रही है। आज खण्डों की ही राजनीति है। बेमेल साँचों को आपस में मिला–जुलाकर काट–छाँट कर, तराश कर वह आपसी तारतम्य बैठाकर प्रयास यह किया जा रहा है कि एक ऐसी प्रतिमा तैयार हो जिसकी राज्य जनमानस में छवि अच्छी रूप से देखी जा सके।

1. यदि कोई व्यक्ति या समूह अपनी राजनीतिक पार्टी को त्यागकर दूसरी पार्टी मे जाने का मन बनाता है तो वह

पुनः जनादेश लेने हेतु बाध्य किया जाना चाहिए क्योंकि जिस जनमानस ने उसकी चयनित करके दल के नाम व प्रतिष्ठा पर वोट देकर विजयी बनाया है उसकी कसौटी फिर से लोकतन्त्र में सामान्य जनता मताधिकार प्राप्त ही है। इससे पद, पैसा, प्रतिष्टा व प्रलोभन का चतुर्भुज उनकी फिल्टर की भांति सफाई कर देगा ऐसा मेरा मानना है।

2. गठबन्धन में शामिल यदि साझादल दल–बदल कानून का उल्लंघन करता है तो ऐसे दल बदलुओं को थोड़े समय के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा कर कुछ सुधार दल बदलुओं में लाया जा सकता है।
3. सभी राजनीतिक दल संतुलित मन व सच्चे हृदय से अपराधी व चारित्रिक दृष्टि से प्रदूषित व्यक्तियों को अपनी पार्टी में किसी भी प्रकार का स्थान न दे चाहे उस पर न्यायालय में किसी विवाद पर मुकदमा चल रहा हो।
4. संविदा अथवा मिश्रित साझा दलों को यदि सत्ता गठन का अवसर मिले तो सभी शामिल दलों को प्राप्त संख्या जो चुनाव में विजयी होकर आये है उनको उसी अनुपात में मन्त्रिमण्डल में स्थान प्राप्त हो।
5. गठबन्धन प्रायः चुनावों से पूर्व आपसी वैचारिक समानताओं व पद लाभ को लेकर किये जाते है। सच्चे और से संजीदगी के साथ चुनावों से पूर्व जो भी आपसी समझौते हो उस पर सरकार के गठन के बाद भी कायम रहना वर्तमान की सबसे बड़ी माँग है। इसको मानने में ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का लाभ सभी को मिलेगा।
6. प्रायः गठबन्धन सरकार के गठन के पश्चात् बहुमत सिद्ध करने की बात आती है जो पूर्णतया संवैधानिक है किन्तु यदि बहुमत सिद्ध करने की अवधि का समय कम से कम अवसर मिलेगा।
7. यदि किसी दल के गठबन्धन सरकार से पृथक होने से शासन व्यवस्था का पतन होता है तो जनमानस में ऐसे प्रसार व प्रचार तन्त्र अथवा प्रोपेगन्डा कर प्रयोग किया जाना परम आवश्यक है इस हेतु मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों को शिक्षित कर वास्तविकता का अहसास कराने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है।
8. वर्तमान में चुनाव आयोग ने हर तरफ से पारदर्शी चुनाव कराने हेतु जो कमर कसी है वह सराहनीय ही नहीं बल्कि परमावश्यक है। चुनाव आयोग को और अधिकार प्रदान कर सशक्त बनाया जाये तथा प्रत्याशी व उसके समर्थकों द्वारा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना पुष्ट होने पर उस प्रत्याशी को चुनाव हेतु कम से कम 5 वर्ष तक वंचित कर देना चाहिए।
9. अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। वर्तमान में बाहुबली, धनबली व शरणवली ने अच्छे और राज्य विकास अर्थात् लोक कल्याणकारी विचार के महानुभावों को सत्ता में आने से रोक रखा है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि कम से कम इन्टर पास अथवा उसके समकक्ष ही व्यक्तियों को मत देने का अधिकार हो इससे अच्छी सोच व विकास का मन रखने वाले जनप्रतिनिधि चुन कर आयेंगे।
10. खरीद फरोख्त जिसको वर्तमान में 'हॉर्स ट्रेडिंग' के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी भी पहलु से यह पुष्ट प्रमाण मिल जाये तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी दशा में सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए अर्थात् उसको मन्त्रिमण्डल या अन्य किसी संस्था का पद दिया जाना लोकतन्त्र को जिन्दा दफन करना होगा। इस राजनेताओं को गम्भीरता व राज्य हित को मद्देनजर रखकर कार्य करना होगा।
11. साझा शासन व्यवस्था में न्यूनतम साझा कार्यक्रम ही सबसे अच्छा सिद्धान्त है किन्तु प्रथम बार सत्ता मे आने से लोभ संवरण नहीं छूट पाता इसके लिए प्रत्याशियों की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण आपसी सामंजस्य से किया जाना सर्वहित में ही होगा।
12. यद्यपि चुनाव आयोग व चुनाव प्रक्रिया नियमावली अपना प्रभाव सभी पर डालती है तथापि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। चुनाव प्रचार थम जाने के पश्चात् उस क्षेत्र में उसके स्वयं व उसके प्रभावशाली समर्थकों को कम से कम पाँच किलोमीटर दूर रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे सुरा–सुन्दरी द्वारा जो सुर बदला जाता है उस पर कुद सीमा तक रोकथाम अवश्य लगेगी।
13. गठबन्धन शासन व्यवस्था में छोटा सा राजनीतिक दल धमकी, धौंस, व धोखे का सहारा लेकर शासन व्यवस्था में अस्थिरता का भाव का संचार कर देता है। ऐसे राजनीतिक दलों की जनमानस को पहचानने की दृष्टि प्रदान करने की क्षमता लाने हेतु शिक्षा का प्रसार प्रचार हर पहलु से किया जाना आवश्यक है। इस हेतु छोटे से ग्राम से लेकर सभी में दृश्य–श्रव्य साधनों से वास्तविकता से परिचय कराना आवश्यक है। इससे अच्छे–बुरे की पहचान करने में थोड़ी सी सफलता धीरे–धीरे अपना प्रभाव दिखलाना प्रारम्भ कर देगी।
14. गठबन्धन शासन व्यवस्था में राज्यों का आर्थिक दृष्टि से वांछनीय विकास नहीं हो पाता है। अस्थिर व त्रिशंकु सरकार की सोच व नीतियाँ भी ढुलमुल होती हैं। फलस्वरूप नीतियों का अस्थिरता तथा उनके कार्यान्वयन में प्रशासनिक शिथिलता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रशासनिक शिथिलता को दूर करने की दवा स्थिर सरकार व स्थिर नीतियाँ ही हैं जिसके लिए राष्ट्र–प्रेम, राष्ट्र विकास का सहारा लेकर लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकता है।
15. बार–बार चुनाव व सत्ता में परिवर्तन राज्य के विकास की गाड़ी को पथविहीन कर देता है इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव में व्यय होने वाली राशि की भरपाई का कुछ अंश सत्ता का पतन कराने वाले व ऐसी चाहत रखने वाले राजनीतिक दलों से की जानी चाहिए।
16. राज्य की कार्यपालिका के नाममात्र के अध्यक्ष कहे जाने वाले राज्यपाल महोदय को पारदर्शित; पहचान और परम्परायें जो विधिक व मान्य है उनको दृष्टिगत रखते हुए शासन तन्त्र में अपनी स्वस्थ घुसपैंठ बनानी चाहिए। महामहिम राज्यपाल द्वारा अनु0 356 का प्रयोग आवश्यक हो तभी प्रयोग में लाना चाहिए इसका अनावश्यक प्रयोग अस्थिरता, अशान्ति व अव्यवस्था के साथ–साथ वह स्वयं भी तीव्र आलोचना का पात्र भी बनेंगे। इसके लिए उनको लोक कल्याणकारी भाव मन में बसाकर कार्य करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है।
17. गठबन्धन अथवा संविद सरकार में मन्त्रिमण्डल पद राजनीतिक सौदेवाजी का साधन बन गया है। विभिन्न घटक दलों के राजनेताओं को प्रसन्न रखने के लिए व दल बदल रोकने के लिए मुख्यमन्त्री स्तर से प्रभावशाली पद देने की पेशकश की जाती है। इस पर रोकथाम के सार्थक प्रयास आवश्यक है। अनावश्यक रूप में मन्त्रिमण्डल का आकार बढ़ने से सरकारी अर्थव्यवस्था प्रभावी होती है। आर्थिक भार में वृद्धि राज्य के विकास

की सबसे बड़ी बाधा है। इस हेतु ऐसे प्रयत्न आवश्यक है जिससे मन्त्रिमण्डल का आकार संतुलित बने व अनावश्यक विस्तार वाला न बनें।

18. संविद शासन व्यवस्था में केन्द्र व राज्य के मध्य रस्साकशी चलती रहती है। केन्द्र को जो राज्य से अपेक्षायें है वे राज्य को केन्द्र से जो आशायें है उनकी पूर्ति कैसे सम्भव हो? इस हेतु मेरा सुझाव यह है कि केन्द्र को सभी राज्यों के प्रति अपनी समानता की दृष्टि रखकर देखना होगा तथा राज्यों का भी यह दायित्व हो कि वह संघ के राज्य है इस कारण केन्द्र के साथ सामंजस्य सहयोग व संजीदगी के साथ का वातावरण बनाकर केन्द्र की निगरानी में राज्य को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं।
19. गठबन्धन सरकार में पक्ष तथा प्रतिपक्ष में छोटी–छोटी बातों को लेकर आपसी छींटाकशी, आरोप–प्रत्यारोप आदि लगाये जाते रहे है। यहाँ तक कि सदन में हाथापाई, मारपीट, गाली–गलौज आदि नाना प्रकार की असंसदीय बातें की जाती है। सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रेडियों, दूरदर्शन आदि माध्यम से पूर्ण–रूपेण दिखाये जाने की आवश्यकता है इससे नादान व अशिक्षित मतदाता के भी आँख, कान व दिमाग खुलेगा जिसका प्रभाव आगामी होने वाले निर्वाचनों पर अवश्य पड़ेगा।
20. गठबन्धन शासन स्व–यवस्था के अन्तर्गत अस्थिरता, अनिश्चितता व अव्यवस्था भी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे में नौकरशाही शासन पर हावी रहती है क्योंकि नव पद प्राप्त मन्त्रियों को किसी प्रकार का पूर्ण अनुभव नही होता। ऐसी दशा में विभिन्न कार्यो के निष्पादन हेतु शासन व प्रशासन के मध्य सही तालमेल बैठे उसके लिए नव पद प्राप्त महानुभावों के साथ अनुभवी व वरिष्ठ शासकीय सहयोगियों के अनुभव का लाभ यदा उनके प्राप्त करते रहना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है।
21. गठबन्धन शासन व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल सभी राजनीतिक दलों का सत्ता में आने के पश्चात् लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में वृद्धि करना होना चाहिए।
22. विधानमण्डल में सदनीय कार्यवाही के दौरान विधायकों की गरिमामयी उपस्थिति का निरन्तर कम होना चिन्तनीय है इस हेतु मेरा सुझाव है कि उनकी उपस्थिति अधिवेशन के दिनों में 60 प्रतिश से भी दशा में कम न हो। जो विधायक गैर–हाजिर रहे उनसे उस दिन के सदनीय कार्यवाही व्यय का कुछ अंश वसूलना चाहिए। गठबन्धन कहीं तोड़ बन्धन में न बदल जाये इस हेतु सदन में उपस्थिति आवश्यक है।
23. गठबन्धन शासन व्यवस्था के अन्तर्गत ''अपनी ढ़पली अपना–अपना राग'' जैसी स्थितियाँ विद्यमान रहती हैं। ढ़पली चाहे जैसी हो किन्तु उसका स्वर एक जैसा रहनाा चाहिए तो यह शासन व्यवस्था जनता की आकांक्षाओं पर कुछ सीमा तक खरी उतरेगी।
24. गठबन्धन सरकार में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय, लिंग आदि नाना प्रकार के बहुभाषी महानुभावों का योगदान उनके राजनीतिक दल के साथ होता है। इनमें सम्मलित विभिन्न क्षेत्रीय दलों की मानसिकता भी उसी भावना से परिपूर्ण रहती है। इस सबको भुलाना यद्यपि नामुमकिन है तथापि इसके साथ साथ राष्ट्रहित व राज्य –हित का थोड़ा सा भी स्थान यदि यहाँ क्षेत्रीय दल अपने दिलों दिमाग में रख लें तो भी गठबन्धन सरकार अपना वांछित कार्यकाल पूर्ण करने में सफल हो सकेगी।
25. केन्द्रीय शासन व्यवस्था में संलग्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व करने वाले मसलन, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री व राज्यों का प्रभाव सम्भालने वाले सभी विभाग के मन्त्रियों को भी यदि किसी राज्य में उनके राजनीतिक दल से पृथक वहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है तो किसी भी प्रकार का सौतेलाना व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। कहा भी गया है कि ''ताली दोनों हाथों से बजती है।'' केन्द्र का बड़प्पन राज्य को महानता सिखायेगा। ऐसा मेरा सुझाव है।
26. संवैधानिक या व्यवस्था के माध्यम से मुख्यमन्त्री का चयन सदन के सभी दलों के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए अथवा यह सुझाव है कि सभी साझा सरकार में शामिल दल अपने अपने प्रत्याशियों को मुख्मन्त्री बनाये जाने की प्रत्याशा में खड़ा करें तथा जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त हो उसी दल के प्रत्याशी को मुख्यमन्त्री बनाया जाये।
27. गठबन्धन में किसी एक दल की तानाशाही न हो। इसमें सभी निर्णय साझा दलों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए। सभी दलों में सहयोग ओर सह–अस्तित्व के आधार पर कार्य करने की भावना होनी चाहिए।
28. गठबन्धन के अन्तर्गत सर्वमान्य नेता को प्रत्येक घटक दल के साथ पारस्परिक सामंजस्य रखना चाहिए। इससे गठबन्धन शासन व्यवस्था में एकता और स्थिरता कायम होगी।

उत्तर–प्रदेश की शासन व्यवस्था मं तो एक दशक से भी अधिक वर्षो से संविद सरकारों का ही गठन हुआ है। इस समय की उत्तर–प्रदेश की विधान सभा इसका अपवाद है। मेरा यह मानना है कि इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् एक ही दल की सरकार को बहुमत मिलना आश्चर्यजनक तो नहीं किन्तु अद्भुत की श्रेणी में अवश्य आयेगा। इसमें मतदाओं की मानसिकता तथा दूरदर्शिता का भी बोध होता है। क्या आम जनता ने पूर्व की गठबन्धन सरकार के कृत्यों के दुष्परिणामों का भोग है? क्या सामान्य जन ने पूर्व के अस्थायित्व, अव्यवस्था व असन्तोष को मद्देनजर रखकर एक ही राजनीतिक दल में अपनी आस्था व्यक्त करके स्थिरता, व्यवस्था व सन्तोष में अपनी इस उत्तर–प्रदेश की सरकार में झलक देख ली हैं?

यदि एक दलीय शासन स्वस्था के गुणों का समावेश इस गठबन्धनीय शासन व्यवस्था में आ जाये तो निश्चित रूप से आने वाले समय में गठबन्धन की शासन व्यवस्था से बढ़कर कोई भी शासन व्यवस्था नहीं होगी। साथ ही साथ अपने लक्ष्यों से भटकने तथा शासन व्यवस्था में होने वाले दोषों व लोक कल्याणकारी कर्यक्रमों से सत्ता पक्ष की नजरें हट न जायें इसको भरपूर संवैधानिक प्रकाश देने वाले सशक्त विरोधी पक्ष का होना जरूरी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जैन, पुखराज, बी0एल0 फाड़ियाः भारतीय शासन एवं राजनीति, (राज्यों की राजनीति सहित) साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, वर्ष 2008.
2. शास्त्री, प्रकाश : भारतीय राजनीति और राजनीतिक दलः समस्यायें और संभावनायें (भारतीय राजनीति में दल बदल) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नयी दिल्ली, वर्ष 1972.
3. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें।

4. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित पत्र व पत्रिकाये।
5. अमर उजाला : मुरादाबाद से प्रकाशित, 22 अक्टूबर 1997
6. नेमा, डॉ0 जे0जी0, डॉ0 जैन एवं हरिश चन्द्र शर्माः भारत में राज्यों की राजनीति, कालेज बुक डिपो, जयपुर वर्ष–2008.
7. दि टाइम्स ऑफ इण्डियाः दिल्ली से प्रकाशित, 16 जनवरी 2003.
8. सारद, के0 चटर्जीः दि कौल्यूशन गवर्नमेन्ट 1974, क्रिश्चियन लिटरेरी सोसाइटी, बांगलौर, 1974.